

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 187/2022

तारीखरजु:- 18/10/22

उनवान:- जल्लो देवी बनाम रुडी बाई वगै०
दावा बाबत तकारमा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 8-10-22 फर्द अहकाम
वादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने दावा बाबत तकारमा, स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 09.11.2022 को पेश हो।




(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

5746-69

18-10-22

9.11.22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 7, 16, 22 ने स्कं उपस्थित होकर आडेरिंग पर हस्ताक्षर किये। व प्रतिवादी न० 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 के नोटिस तामील स्कं व परिवारजन से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बाबत सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-बार आवाज दिलाई गई। कोई उप० नहीं हुआ। उक्त के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही क्रम में लाई जाती है। एवं प्रतिवादी न० 17 लगा० 21 के नोटिस तामील विधिवत नहीं हुए हैं व प्रतिवादी न० 1 लगा० 4 के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए हैं व प्रतिवादी न० 24 फेरौकर सरकार उपस्थित। वास्ते लम्बी व जबाब पेश करने दिनांक 12.12.22 को पेश हो।


जिला करौली
निष्पत्ती





12.12.22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 7, 16, 22 बाबत सूचना उप० नहीं हुए ना कि कोई अतिवृत्त उपस्थित हुआ। बार-बार आवाज दिलाई गई। कोई उप० नहीं हुआ। उक्त के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही क्रम में लाई जाती है। शेष प्रतिवादी न० 1 लगा० 4 के पुनः



8 ⁷/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वाडी मुख वाडी वकील
कोई उपस्थित नहीं। वार 2 हावाज
डिवाई गई। इसके उपवाले भी कोई
उपस्थित नहीं इसलिए वाडी मुख वाडी वकील
का दावा वाडी मुख वाडी वकील की हाडम
पैवली हाडम हाजिरी में बमारेज किया
जाता है। पत्रावली पेश करने के बाद
नमक से कम कर शामिल उपलब्ध है।

(5)

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगानूर सिटी